[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 11 एच०एल०ए०

हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में सार्वजनिक द्यूत, सामान्य द्यूत घर चलाने, खेलों और चुनावों में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की रोकथाम करने और दण्ड देने के लिए और इससे सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। *संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।*

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- *परिभाषाएं।*

(क) "सट्टा" से अभिप्राय है, किसी घटना के घटित होने या नहीं होने सम्बन्धी दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में कोई करार, चाहे मौखिक हो, लिखित हो या अन्यथा से हो, चाहे भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, जिसका परिणाम करार के समय किसी या किन्हीं पक्षकारों को ज्ञात नहीं हो और किसी घटना के परिणाम के सम्बन्ध में कोई असत्य अनुमान लगाने वाला पक्षकार, सम्मिलित अन्य पक्षकार या पक्षकारों को नियत प्रतिफल, जो मौद्रिक या अमौद्रिक हो सकता है, का भुगतान या समपहरण करने हेतु बाध्य होगा;

(ख) "सट्टेबाजी" से अभिप्राय है सट्टा लगाने का कोई कृत्य और इसमें इलेक्ट्रोनिक संसूचना के साधनों द्वारा सट्टा लगाना भी शामिल है;

(ग) "सामान्य द्यूत घर" से अभिप्राय है, किसी घर, भवन, तम्बू, वाहन या पोत के साथ-साथ कोई कम्प्यूटर नेटवर्क, जो सूचना सृजन को समर्थ बनाता है या प्रसंस्करण और भण्डारण उपलब्ध करवाता है, जिसका स्वामी, अधिभोगी या रखवाला या तो किसी मध्यवर्ती के माध्यम से या अन्यथा से कुछ प्रतिफल, मौद्रिक या अन्यथा के बदले में द्यूत के प्रयोजन के लिए इसे उपलब्ध करवाता है;

(घ) "इलेक्ट्रोनिक संसूचना'' से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रोनिक संसूचना;

(ङ) "द्यूत" से अभिप्राय है, सट्टेबाजी या गेमिंग का कोई कृत्य या दोनों;

(च) "सम्भावना का खेल" से अभिप्राय है, कोई ऐसा खेल जहां कौशल पर सम्भावना की प्रबलता है;

(छ) "कौशल का खेल" से अभिप्राय है, कोई ऐसा खेल जहां कौशल पर सम्भावना की प्रबलता है, जिसमें ऐसे खेल भी शामिल हैं, जहां सम्भावना का कोई तत्व होने के बावजूद भी सफलता, खिलाड़ी के सर्वोतम ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यान, अनुभव और चतुरता पर मुख्य रूप से निर्भर है:

परन्तु राज्य सरकार किसी खेल को कौशल के खेल के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित कर सकती है;

(ज) "गेमिंग" से अभिप्राय है, द्यूत के उपकरणों का प्रयोग करके या अन्यथा से सम्भावना का खेल खेलना, जहां खेल हारने वाला कोई भी पक्षकार या सभी पक्षकार, खेल जीतने वाले किन्हीं भी पक्षकारों के पक्ष में कुछ प्रतिफल, मौद्रिक या अमौद्रिक, का भुगतान या समपहरण करेंगे और इसमें कौशल का खेल शामिल नहीं है;

(झ) "द्यूत उपकरण" से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, किसी वस्तु के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित कोई सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक संसूचना युक्ति, उपकरण, उपसाधनों के साथ सर्वर या मशीन, और द्यूत के रजिस्टर या रिकार्ड या साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित द्यूत का कोई उपसाधन या साधन, कोई दस्तावेज, किसी द्यूत के आगम, किसी द्यूत के सम्बन्ध में वितरित की गई या वितरित किए जाने के लिए आशयित धन के रूप में जीत की कोई राशि या पुरस्कार;

(ञ) "मैच फिक्सिंग" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं, कुछ प्रतिफल या आर्थिक लाभ के लिए या अन्यथा से खेल की मूल भावना के विरूद्ध, स्वयं सहित किसी व्यक्ति या टीम को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अनुचित पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए खेलों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कृत्य या चूक, और अन्य बातों के साथ इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,–

(i) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी समर्थता के अनुसार प्रदर्शन करके या प्रदर्शन नहीं करके कुछ प्रतिफल या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है;

(ii) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी किसी मैच या खेल प्रतियोगिताओं के परिणाम के सम्बन्ध में स्वयं के लिए सट्टा लगाता है;

(iii) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी सट्टेबाज सिंडीकेट के साथ कोई सूचना साझी करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ टीम का गठन, मैदान की परिस्थितियों, मौसम, सम्भाव्य परिणाम इत्यादि शामिल हैं; या

(iv) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी विधिक परिणाम से भिन्न, प्रतिफल या आर्थिक लाभ के लिए मैदानी परिस्थितियों को परिवर्तित करता है।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु 'खिलाड़ी' से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं कर्मचारी, प्रबन्धक, शारीरिक–अनुदेशक, कोच, रेफरी, अंपायर, ग्राऊन्ड मैन इत्यादि सहित किसी भी हैसियत से खेल या मैच के आयोजन में सम्मिलित कोई व्यक्ति;

(ट) "संगठित द्यूत सिंडीकेट" से अभिप्राय है, निरन्तर गतिविधि के रूप में गेमिंग या सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग को आयोजित, प्रबन्धित या नियन्त्रित करने वाले सिंडीकेट या गैंग के रूप में अकेले ही या संयुक्त रूप से कार्य करने वाला दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह;

(ठ) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय है, जनसाधारण द्वारा उपयोग या की पहुँच के लिए आशयित कोई स्थान तथा इसमें कोई सार्वजनिक वाहन भी शामिल है;

(ड) "संहिता" से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46);

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ण) "स्पॉट फिक्सिंग" से अभिप्राय है, किसी खेल प्रतियोगिता में विशेष संयोग या प्रसंग का आशयित अभिचालन चाहे ऐसा अभिचालन, आर्थिक या अन्य दोषपूर्ण लाभ हेतु किसी व्यक्ति द्वारा प्रतियोगिता के अन्तिम परिणाम को प्रभावित करता है या नहीं करता है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) में उन्हें दिया गया है।

द्यूत के लिए दण्ड।

3. (1) जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर या सामान्य द्यूत घर में द्यूत में लिप्त है या उसमें पाया जाता है, तो कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दस हजार रूपए तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और उसके बाद उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दस हजार से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण में, यह सिद्ध हो जाता है कि किसी सामान्य द्यूत घर में कोई व्यक्ति उपस्थित था, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता, यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह सट्टेबाजी के प्रयोजन हेतु वहां उपस्थित था और तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

किसी सामान्य द्यूत घर का स्वामित्व रखने या चलाने या प्रभार रखने के लिए दण्ड।

4. (1) जो कोई भी किसी समान्य द्यूत घर का स्वामी, अधिभोगी या रखवाला होते हुए या जो किसी सामान्य द्यूत घर के संचालन के लिए वित्तपोषण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, में लिप्त है, तो कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा।

खेलों में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के लिए दण्ड।

5. (1) जो कोई भी खेलों में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त है, तो कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पांच लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात तक की वर्ष हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो सात लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।

6. जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित कृत्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो उसी रीति में दण्डित किया जाएगा मानो उसने स्वयं इस अधिनियम के अधीन वह अपराध किया था।

संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य होने के लिए दण्ड।

7. (1) जो कोई भी किसी संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य है, तो कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और पांच लाख रूपए के जुर्माने से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो पांच लाख रूपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

मिथ्या पहचान तथा पता देने के लिए दण्ड।

8. (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन द्यूत अथवा किसी अन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है, अपनी पहचान को बताने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है या मिथ्या पहचान देता है या कोई अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करके धोखा देता है या यह दर्शाता है कि वह या अन्य व्यक्ति उससे भिन्न कोई व्यक्ति है या ऐसा अन्य व्यक्ति वास्तव में उससे भिन्न है, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रूपए के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो बीस हजार रूपए से कम नही होगा, से भी दायी होगा।

पुलिस अधिकारी को प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।

9. (1) अधिकारिता रखने वाला कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, को विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर या ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, किसी स्थान पर प्रवेश करने और सभी ऐसे व्यक्तियों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और सभी सामग्रियों और धनराशि इत्यादि को भी जब्त कर सकता है, जो उसमें पाई जाती हैं और द्यूत के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही हों।

द्यूत उपकरण की जब्ती के संबध में उपधारणा।

10. जब कभी किसी स्थान पर द्यूत का कोई उपकरण, द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा उपकरण, द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा है और तथ्य के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा कि ऐसा स्थान, जिसमें घर, बाड़ा, कक्ष, वाहन, पोत शामिल हैं, द्यूत के लिए अथवा इस अधिनियम के प्रतिकूल संगठित द्यूत सिंडीकेट द्वारा प्रयोग किया जा रहा था और किया जा रहा है, और यह कि इसका स्वामित्व रखने, को चलाने या का प्रभार रखने वाला व्यक्ति, ऐसे संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य था जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता।

द्यूत उपकरणों का निपटान।

11. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान जब्त की गई द्यूत के किसी उपकरण अथवा किसी अन्य सम्पत्ति का निपटान, संहिता के अध्याय XXXVI के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

सम्पत्ति की कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तन।

12. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई सम्पत्ति, संहिता की धारा 107 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए दायी होगी।

साक्षियों का परित्राण।

13. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रतिकूल द्यूत खेलने में लिप्त है, और जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान साक्षी के रूप में परीक्षित किया जाता है, और जो ऐसी परीक्षा पर, न्यायालय की राय में, उन सभी बातों के बारे में, जिनके लिए उसे इस प्रकार परीक्षित किया गया था, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी का प्रकटीकरण करता है, तो उक्त न्यायालय से उस आशय का एक लिखित प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा और ऐसा द्यूत खेलने के संबंध में उस समय से पूर्व की गई किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन उसका परित्राण किया जाएगा।

जुर्माने की वसूली।

14. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्मानों की वसूली, संहिता धारा 461 के अधीन दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

15. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कर्तव्य के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरूद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के प्रमुख कोई वाद, अभियोजन या विधिंक कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

अधिनियम का लागू न होना।

16. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी बाजार को इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्अंसगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

18. (1) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 3), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई को, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, भारत में द्यूत, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 द्वारा शासित है, जो एक पुराना, ब्रिटिश युग का कानून है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में इस कानून को अप्रचलित करार करते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। सभी राज्य सरकारों के पास अपने–अपने कानून बनाने की शक्ति है क्योंकि विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में आती है और कई राज्यों ने समय–समय पर अपने सार्वजनिक द्यूत कानून बनाए हैं। भारत में अधिकांश द्यूत कानून पुराने हो चुके हैं क्योंकि उन्नत तकनीक के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के साथ द्यूत के रूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है और सट्टेबाजी करने वाले सिंडिकेट आम जनता के वित्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि कानून का अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। द्यूत आयोजित करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा शुरू करना जरूरी हो गया है। इसलिए, सट्टेबाजी और द्यूत को विनियमित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर है।

हरियाणा राज्य में सार्वजनिक द्यूत, साझा जुआघरों का संचालन, खेलों या चुनावों में सट्टा लगाना, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक या इसी प्रकार की प्रकृति के मामलों की रोकथाम और दण्ड का प्रावधान करने तथा आम जनता को ऐसी किसी गतिविधि द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कानून अर्थात 'हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025' की आवश्यकता है।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 13 मार्च, 2025

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 13 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

11732—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.